न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 151/2022 दावा/बउनवान/जितेन्द्र मेहता/मोहम्मद ताहिर वगैरा

जितेन्द्र मेहता पुत्र श्री हरिप्रसाद मेहता जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1. मोहम्मद ताहिर पुत्र श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान,
2. मोहम्मद तारीफ नाबालिग पुत्र श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद नाबालिग की वलिया श्रीमती शाहीना पत्नी श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—.

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 48, 49, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 20.12.2022

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि नई खाता संख्या 32 के खसरा नंबर 35 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नंबर 134 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.40 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.65 हैक्टर आराजी एवं उक्त आराजी से लगी हुई पुराना खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 468/147 रकबा 1.32 हैक्टर व खसरा नंबर 467/147 रकबा 1.32 हैक्टर आराजी वाके ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 32 की 2.65 हैक्टर आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज खाता है किन्तु मौके पर उक्त आराजी पर कब्जाकाश्त प्रतिवादी कं. 1, 2 का जबकि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पुरानी खाता संख्या 33 की कुल 2.64 हैक्टर आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम दर्ज खाता है किन्तु मौके पर उक्त आराजी पर कब्जाकाश्त वादी का है। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि का इल्म वादी को गत [illegible] पटवारी हल्का के पास बैंक ऋण हेतु राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने के लिए जाने पर [illegible] हल्का द्वारा नक्शा देखकर उक्त त्रुटि बताने पर हुआ जिसके बाद वादी ने प्रतिवादी कं. 1, 2 से उक्त त्रुटि को दुरूस्त [illegible] को कहा तो प्रतिवादी कं. 1, 2 ने उक्त दुरूस्ती में सहयोग करने से मना कर दिया किन्तु यदि उक्त राजस्व त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए माननीय न्यायालय में यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व त्रुटि को दुरूस्त करवाने में सहयोग करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सॉगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः माल ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित पुरानी खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 468/147 रकबा 1.32 हैक्टर व खसरा नंबर 467/147 रकबा 1.32 हैक्टर कुल 2 किता की कुल 2.64 हैक्टर आराजी का वादी को एवं खाता संख्या 32 के खसरा नंबर 35 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नंबर 134 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.40 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.65 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभय पक्षकारों ने हाजिर अदालत होकर इस आशय का राजीनामा प्रस्तुत किया कि पूर्व में साबिक खसरा नंबर 52 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा आराजी खातेदार श्याम मनोहर पुत्र रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद के नाम एवं साबिक खसरा नंबर 164/52/1 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा आराजी खातेदार हरिशंकर पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी लालाहेडा के खाते दर्ज थी जिसके बाद श्याम मनोहर द्वारा अपनी आराजी वादी द्वारा क्रय की एवं हरिशंकर की आराजी क्रेता जी.एस.रघुवंशी द्वारा क्रय की व उसके पश्चात जी.एस. रघुवंशी द्वारा क्रयशुदा आराजी प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा से विक्रय कर दी। चूंकि सेटलमेंट पूर्व उपरोक्त दोनों खसरा नंबरान का मूल खसरा नंबर एक ही था और राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नंबर एकचक के रूप में स्थित था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी के हिसाब से नक्शे में तरमीम नहीं की गई जबकि मौके पर पूर्वी 16 बीघा 7 बिस्वा पर वादी व पश्चिमी 16 बीघा 7 बिस्वा मय कुआं, ट्यूबवेल, मय विद्युत कनेक्शन पर प्रतिवादी क्रं. 1, 2 शान्तिपूर्वक काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे हैं किन्तु सेटलमेंट संवत् 2058 के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों ने जिस स्थान पर वादी काश्त कर रहा है, उस स्थान पर नक्शे में प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को अंकित कर दिया तथा जिस स्थान पर प्रतिवादी क्रं. 1, 2 काश्त कर रहे हैं, उस स्थान को नक्शे में वादी के नाम अंकित कर दिया जिसके कारण पक्षकारान को कृषि विकास कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। उभय पक्षकारान मौके पर निम्न प्रकार से आराजीयात को शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त मुकदमें में पक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया है

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

जिसके अनुसार मौके के कब्जेकाश्त के अनुसार पक्षकारान राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करवाना चाहते हैं। पक्षकारान को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाना चाहते हैं :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी जितेन्द्र मेहता पुत्र श्री हरिप्रसाद मेहता जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
माछल्या	468/147	1.32
	467/147	1.32
	कुल किता 2 की	कुल 2.64 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रति.कं. 1, 2 मोहम्मद ताहिर पुत्र अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद हि.1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद व मोहम्मद तारीफ नाबालिग पुत्र अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद नाबालिग की वली माता शाहिना पत्नी अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
माछल्या	33	1.23
	134	0.02
	135	1.40
	कुल किता 3 की	कुल 2.65 हैक्टर

पक्षकारान ने राजीनामें में यह भी अंकित किया है कि उक्तानुसार पक्षकार को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी कं. 1, 2 की आराजी में पूर्वखातेदार हरिशंकर के नाम से जो विद्युत कनेक्शन है, उसे बहैसियत मालिक प्रतिवादी कं. 1, 2 को उपयोग–उपभोग करवाने व स्वयं के नाम अंतरित करवाने का अधिकार रहेगा। उभय पक्षकारों द्वारा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने का निवेदन किया। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। उभय पक्षकारों द्वारा दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है। इसलिये राज्य सरकार फोरमल पक्षकार होने से उनके जवाब की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों [illegible] पक्षकारान के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 को निम्न

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

प्रकार से पृथक—पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :—

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी जितेन्द्र मेहता पुत्र श्री हरिप्रसाद मेहता जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
माछल्या	468/147	1.32
	467/147	1.32
	कुल किता 2 की	कुल 2.64 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रति.क्रं. 1, 2 मोहम्मद ताहिर पुत्र अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद हि.1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद व मोहम्मद तारीफ नाबालिग पुत्र अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद नाबालिग की वली माता शाहिना पत्नी अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
माछल्यां	33	1.23
	134	0.02
	135	1.40
	कुल किता 3 की	कुल 2.65 हैक्टर

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को पृथक—पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी क्रं. 1, 2 की आराजी में स्थित कुऐं पर पूर्वखातेदार हरिशंकर के नाम से मौजूद विद्युत कनेक्शन का बहैसियत मालिक उपयोग—उपभोग करने व विद्युत कनेक्शन को स्वयं के नाम से अंतरित करवाने का अधिकार प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को रहेगा। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 20.12.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:48 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2022 दावा/बउनवान/जितेन्द्र मेहता/मोहम्मद ताहिर वगैरा

जितेन्द्र मेहता पुत्र श्री हरिप्रसाद मेहता जाति किराड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी–

–बनाम–

1. मोहम्मद ताहिर पुत्र श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान,
2. मोहम्मद तारीफ नाबालिग पुत्र श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद नाबालिग की वलिया श्रीमती शाहीना पत्नी श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 48, 49, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 48, 49, 209 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. /2022

तारीख फैसला दिनांक 20.12.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रूबरू पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

<u>अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी जितेन्द्र मेहता पुत्र श्री हरिप्रसाद मेहता जाति किराड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद</u> :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
माछल्या	468/147	1.32
	467/147	1.32
	कुल किता 2 की	कुल 2.64 हैक्टर

<u>ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रति.कं. 1, 2 मोहम्मद ताहिर पुत्र [illegible] अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद हि.1/2 रहिन बैंक ऑफ [illegible] मोहम्मद तारीफ नाबालिग पुत्र अब्दुल फरीद जाति मुसलमान निवासी सांगोद [illegible] माता शाहिना पत्नी अब्दुल फरीद जाति</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
माछल्या	33	1.23
	134	0.02
	135	1.40
	कुल किता 3 की	कुल 2.65 हैक्टर

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी कं. 1, 2 की आराजी में स्थित कुऐं पर पूर्वखातेदार हरिशंकर के नाम से मौजूद विद्युत कनेक्शन का बहैसियत मालिक उपयोग–उपभोग करने व विद्युत कनेक्शन को स्वयं के नाम से अंतरित करवाने का अधिकार प्रतिवादी कं. 1, 2 को रहेगा।

निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 20.12.2022 को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:48 IST
Reason: SelfAttested